न्यायालय संभागीय आयुक्त, उदयपुर

पीठासीन अधिकारीः विकास सीतारामजी भाले, आई.ए.एस.

प्रकरण संख्या - 33/2019 अपील (GCMS/2019/00043)
पंजीयन दिनांक - 30.07.2019
निर्णय दिनांक -

1. श्री शम्भुसिंह पुत्रश्री मानसिंह राव, निवासी मेड़ता, जिला उदयपुर।

-अपीलार्थी

बनाम

1. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार, मावली, जिला उदयपुर

-प्रत्यर्थी

उपस्थिति दौराने बहसः-
1. श्री सुखलाल मेघवाल व विजय कुमार ओस्तवाल - वकील अपीलार्थी
2. राजकीय पेरोकार - वकील प्रत्यर्थी

प्रकरण संख्या-34/2018, में श्री शम्भुसिंह राव बनाम तहसीलदार, मावली में न्यायालय जिला कलक्टर, उदयपुर द्वारा पारित निर्णय दिनांक 01.07.2019 के विरूद्ध अपील अन्तर्गत धारा-76 भू-राजस्व अधिनियम 1956

निर्णय

दिनांक 16.03.2021

उक्त अपील अपीलान्ट द्वारा न्यायालय जिला कलक्टर, उदयपुर द्वारा प्रकरण संख्या-34/2018, में श्री शम्भुसिंह राव बनाम तहसीलदार, मावली में पारित निर्णय दिनांक 01.07.2019 के विरुद्ध पेश की गई है।

प्रकरण के तथ्य निम्न प्रकार है-

- अपीलार्थी द्वारा अधीनस्थ न्यायालय जिला कलक्टर, उदयपुर समक्ष तहसीलदार, मावली द्वारा पारित बमुकदमा संख्या-40/15 ना.क. दिनांक 04.01.2017 के विरूद्ध अपील अन्तर्गत धारा-75 राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम के पेश की और कथन किया कि उसकी चाची श्रीमती संतोष कंवर ने उनके स्वर्गीय पति श्री भानसिंह की इच्छानुसार दिनांक 19.02.2015 को उसके नाम से वसीयतनामा लिखकर उनकी समस्त चल व अचल सम्पत्ति का वारिस उसको बनाया। इस कारण वसीयतनामें के आधार पर जमीन का नामान्तरकरण उसके नाम पर करवाया जावें। जिस तहसीलदार मावली द्वारा पटवारी हल्का मेड़ता की रिपोर्ट ली गई। वारिसानों को सूचना पत्र जारी

किया गया। जिस पर श्री केसरसिंह पिता श्री मानसिंह राव निवासी मेड़ता ने वसीयत पर आपत्ति की एवं वसीयत सम्पत्ति को पैतृक सम्पत्ति बताया जिस पर तहसीलदार, मावली द्वारा वसीयत की गई भूमि वसीयतकर्ता की पैतृक सम्पत्ति होना मान अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अस्वीकार कर खारिज कर दिया। तहसीलदार द्वारा श्री केसरसिंह की जानकारी में वसीयत नहीं होने के आधार पर अनरजिस्टर्ड वसीयत होने के कारण सदेंह व्यक्त किया जो गलत है। इसी प्रकार अपील में वर्णित विभिन्न आधारों पर अपीलार्थी द्वारा अपील स्वीकार करने बाबत अधीनस्थ न्यायालय जिला कलक्टर, उदयपुर को निवेदन किया गया।

- अधीनस्थ न्यायालय जिला कलक्टर, उदयपुर द्वारा निर्णय दिनांक 01.07.2019 से निर्णय पारित किया कि ''**हस्तगत प्रकरण में स्वर्गीय भानसिंह श्री विधवा संतोषकुंवर द्वारा एक वसीयत अपीलान्ट के पक्ष में लिखकर दिनांक 19.02.15 को निष्पादित की गई। जिसमें वसीयतकर्ता द्वारा वसीयत से अपने पति की व स्वयं की समस्त चल अचल सम्पत्ति की वसीयत की गई। उक्त वसीयत के आधार पर अधीनस्थ न्यायालय में कृषि भूमि अपने नाम पर दर्ज किये जाने हेतु निवेदन किया गया। अपीलान्ट जो कि वसीयतगृहिता है उसी के भाई केसरसिंह द्वारा आपत्ति किये जाने से व रिपोर्ट पटवारी के आधार पर अपीलान्ट का प्रार्थना पत्र निरस्त कर दिया गया। प्रकरण में बहस पर मनन करने के उपरान्त न्यायालय का मत है कि स्वर्गीय श्री भानसिंह की मृत्यु के बाद उसकी कृषि भूमि जरिये नामान्तरकरण से वसीयत के आधार पर संतोषकुंवर को विरासत के आधार पर प्राप्त हुई जो मौरूसी सम्पत्ति है। चुंकि हस्तगत प्रकरण में संतोषकुंवर के कोई पुत्र पुत्री नहीं होने से मौरूसी सम्पत्ति के आधार पर द्वितीय श्रेणी के वारिसानों में हस्तगत होगी। न्यायालय अधिवक्ता अपीलान्ट के इस कथन से सहमत है कि स्वर्गीय भानसिंह द्वारा स्वअर्जित सम्पत्ति वसीयत से अपीलान्ट प्राप्त करने का अधिकारीता रखता है परन्तु वसीयत पर केसरसिंह द्वारा संदेह व्यक्ति किया गया है। ऐसी स्थिति में अपीलान्ट को चाहिये कि वह सक्षम न्यायालय में वसीयत को प्रोबेट करावें। उपरोक्त विवेचन के आधार पर अधीनस्थ न्यायालय मावली के प्रकरण संख्या 40/15 निर्णय दिनांक 04.01.17 में किसी प्रकार की कानुनी त्रुटि नहीं पायी जाने से अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय बहाल रखा जाकर अपील अपीलार्थी खारिज की जाती है।**''

अधीनस्थ न्यायालय जिला कलक्टर, उदयपुर द्वारा पारित निर्णय दिनांक 01.07.2019 से व्यथीत होकर अपीलार्थी द्वारा न्यायालय संभागीय आयुक्त, उदयपुर में अपील दिनांक 30.07.2019 को प्रस्तुत की गई। प्रस्तुत अपील दिनांक 30.07.2019 को दर्ज रजिस्टर कर रेस्पोडेन्टस् को जरिये नोटिस सूचित किया

गया तथा अधीनस्थ न्यायालय से अभिलेख मंगवाया गया। वकील पक्षकारान उपस्थित, जिनकी बहस दिनांक 02.03.2021 को सुनी गई।

विद्वान वकील अपीलार्थी ने अपील में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए बहस में प्रस्तुत किया है कि प्रकरण में मूल पुरूष श्री सरदारसिंह थे, जिनके दो पुत्र श्री मानसिंह व श्री भानसिंह हुए। मानसिंह के दो पुत्र श्री केसरसिंह व श्री शम्भुसिंह हुए। श्री भानसिंह के कोई पुत्र नहीं था, उसकी मृत्यु के बाद उसकी पत्नि श्रीमती संतोषकुंवर उसकी एकमात्र वारिस हुई और भानसिंह की सम्पत्ति उसको प्राप्त हुई। श्री भानसिंह द्वारा अपने जीवनकाल में मौजा मेड़ता की आराजी संख्या-1008 रकबा 3 बीघा 17 बिस्वा भूमि भभुतसिंह पिता श्री भैरूसिंह राव से दिनांक 04.03.92 को खरीदी थी, जो उसकी निजी भूमि थी, यह भूमि संतोषकुंवर के नाम दर्ज हुई। जो सम्पत्ति अपने पति से पत्नि को प्राप्त होती है वह उसकी स्वअर्जित भूमि की श्रेणी में आती है जिसे श्रीमती संतोषकुंवर को वसीयत करने का अधिकार है। ऐसे में श्री शम्भुसिंह ही विवादित भूमि का अधिकारी है। अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार द्वारा गवाहों के शपथपत्र लिये जिसमें उनके द्वारा वसीयत को पूर्ण सहीं होना बताया। केवल मात्र केसरसिंह के कहे जाने पर की वसीयत की जानकारी मुझे नहीं है को आधार मानकर अनरजिस्टर्ड वसीयत में संदेह व्यक्त नहीं किया जा सकता है। इस मामलें में धारा-39 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के प्रावधान अनुसार भूमि प्राथमिकता के आधार पर वसीयतधारक को न्यायगत होगी। अतः अपील अपीलार्थी स्वीकार फरमाई जाकर अधीनस्थ न्यायालय के आदेशों को अपास्त फरमाया जावें एवं भूमि अपीलार्थी के नाम नामान्तरित कराई जावें।

विद्वान वकील प्रत्यर्थी ने अधीनस्थ न्यायालय समक्ष प्रस्तुत तथ्यों को दोहराते हुए बहस में प्रस्तुत किया है कि विवादित सम्पत्ति मौरूसी जायदाद है जिसे वसीयत नहीं की जा सकती है। जहां वसीयत पर संदेह किया जाता है, वहा वसीयत को साबित करने का भार वसीयत के लाभार्थी पर होता है, इस प्रकरण में यह साबित नहीं किया गया है। वसीयत की वैधता एवं प्रमाणित किये जाने का क्षेत्राधिकार राजस्व न्यायालय को नहीं है। यदि अपीलार्थी विवादित भूमि में कोई हक व अधिकार रखता है, तो उसे सक्षम न्यायालय में वाद प्रस्तुत कर अनुतोष प्राप्त करना होगा। जो भूमि विरासत से प्राप्त हुई है, उसके वारिसानों को श्रेणी अनुसार प्राप्त होनी चाहिए। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा भी अपने निर्णय में इन विधिक स्थितियों का विस्तृत वर्णन करते हुए तर्कसंगत व्याख्यान किया है। ऐसी स्थिति में अपील अपीलार्थी खारिज करते हुए अधीनस्थ न्यायालयों के निर्णय यथावत रखे जावें।

हमने उपस्थित अधिवक्ताओ की विस्तृत बहस एवं दस्तावेजों पर मनन किया एवं न्यायालय हाजा की पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों एवं प्रकट विभिन्न तथ्यों का गहनता से अध्ययन एवं परिशीलन किया।

अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली से उजर होता है कि प्रकरण में स्वर्गीय भानसिंह श्री विधवा संतोषकुंवर द्वारा एक वसीयत अपीलान्ट के पक्ष में लिखकर दिनांक 19.02.15 को निष्पादित की गई। जिसमें वसीयतकर्ता द्वारा वसीयत से अपने पति की व स्वयं की समस्त चल अचल सम्पत्ति की वसीयत की गई। उक्त वसीयत के आधार पर तहसीलदार मावली में कृषि भूमि अपने नाम पर दर्ज किये जाने हेतु निवेदन किया गया। अपीलान्ट जो कि वसीयतगृहिता है उसी के भाई केसरसिंह द्वारा आपत्ति किये जाने से व रिपोर्ट पटवारी के आधार पर अपीलान्ट का प्रार्थना पत्र निरस्त करते हुए तहसीलदार, मावली द्वारा निर्णय दिनांक 04.01.2017 में अंकन किया कि '**श्री शम्भुसिंह पिता मानसिंह राव ने अपने प्रार्थना पत्र में वसीयत के आधार पर नामान्तरकरण दर्ज करने बाबत निवेदन किया एवं लिखित बयान में बताया कि श्रीमती संतोष कंवर के द्वारा 3.00 बीघा जमीन खरीदी गई उसकी वसीयत की गई है। इस तरह प्रार्थी स्वयं भी यह स्पष्ट नहीं कर पा रहे है कि श्रीमती संतोष पत्नि भानसिंह राव के नाम दर्ज सम्पूर्ण भूमि का नामान्तरकरण चाहते है अथवा सिर्फ क्रयशुदा 3.00 बीघा भूमि का। श्री शम्भुसिंह पिता मानसिंह राव के भाई केशरसिंह पिता मानसिंह राव ने बताया कि इस प्रकार की काई वसीयत हुई है उनकी जानकारी में नहीं है उक्त वसीयतनामा फर्जी है। जिससे अनरजिस्टर्ड वसीयत में संहेद प्रतीत होता है। वसीयत की गई भूमि वसीयतकर्ता की पैतृक सम्पत्ति है। श्रीमती संतोष के द्वारा पैतृक सम्पत्ति की वसीयत की गई। अतः प्रार्थी श्री शम्भुसिंह पिता मानसिंह जाति राव निवासी मेडता, तहसील मावली, जिला उदयपुर के द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अस्वीकार किया जाता है।**'

स्पष्ट है कि स्वर्गीय श्री भानसिंह की मृत्यु के बाद उसकी कृषि भूमि जरिये नामान्तरकरण से वसीयत के आधार पर संतोषकुंवर को विरासत के आधार पर प्राप्त हुई जो मौरूसी सम्पत्ति है। चुंकि हस्तगत प्रकरण में संतोषकुंवर के कोई पुत्र पुत्री नहीं होने से मौरूसी सम्पत्ति के आधार पर द्वितीय श्रेणी के वारिसानों में हस्तगत होगी।

अधीनस्थ न्यायालय के अभिलेखों एवं दस्तावेजों के अवलोकन से यह प्रकट होता है कि श्री केसरसिंह द्वारा उक्त अपंजीकृत वसीयत पर आपत्ति जाहिर की है। ऐसे में अपंजीकृत वसीयत विवादित एवं विवादास्पद है जिसे प्रमाणित कराने का दायित्व एवं भार अपीलार्थी पर है। अंपजीकृत वसीयत विवादग्रस्त एवं संदिग्ध है तो खातेदार के वारिसों को नामान्तरकरण में प्राथमिकता दी जायेगी। मृतक खातेदार के प्राकृतिक वारिसों, प्रथम श्रेणी, द्वितीय श्रेणी (प्रकरण की वस्तुस्थिति अनुसार) के नाम नामान्तरकरण अनुप्रमाणित के जाने का प्राथमिकता दी जानी चाहिए जब तक कि वसीयत के लाभार्थी द्वारा वसीयत की प्रमाणिकता एवं संदेह से परे सिद्ध नहीं किया जाता है। विवादित वसीयत की वैधता के सम्बन्ध में कोई अंतिम निष्कर्ष देना राजस्व न्यायालय के लिये नामान्तरकण की संक्षिप्त कार्यवाही में संभव नहीं है।

नामान्तरकरण कोई हित या स्वामित्व उत्पन्न नहीं करती है। नामान्तरकरण की संक्षिप्त कार्यवाही में उत्तराधिकार का जटिल प्रश्न, वसीयत या गोद के जटिल विवाद्यक का विनिश्चय किया जाना संभव नहीं है। स्वामित्व व स्वत्व की घोषणा घोषणात्मक वाद में ही की जा सकती है। अतः स्वामित्व स्थापित करने के लिये अपीलार्थी को सक्षम न्यायालय में घोषणा का दावा करना चाहिये। अपीलार्थी यदि मृतक श्रीमती संतोषकंवर की उपरोक्त विवादित आराजीयात में कोई एकल/संयुक्त अधिकार रखता है तो वह सक्षम न्यायालय में अधिकारों की घोषणा कराने के लिये स्वतंत्र है जिससे हमारा यह निर्णय रेसजुडिकेटा नहीं माना जायेगा।

जहां तक वसीयत की वैधता एवं उसके प्रमाणन का प्रश्न है, उल्लेख किया जाना आवश्यक है कि वसीयत का विवाद सिविल न्यायालय द्वारा निर्णित होगा (2005 आरआरडी 401) और वसीयत की प्रमाणिकता की जांच सिविल न्यायालय द्वारा की जा सकती है (2019 आरआरडी-78, 79)। अतः वसीयत की वैधता एवं उसके प्रमाणन के सम्बन्ध में इस न्यायालय द्वारा कोई टिप्पणी किया जाना क्षेत्राधिकार से बाहर है।

हमारी सुविचारित राय में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा तथ्यात्मक एवं विधिक स्थिति का विवेचन करते हुए और पर्याप्त कारण अंकित करते हुए आलौच्य निर्णय पारित किया है, ऐसे तर्कसगत एवं विधिसम्मत निर्णय में हम कोई हस्तक्षेप करना उचित नहीं समझते है।

फलस्वरूप उपरोक्त समग्र विवेचनानुसार अपील अपीलान्ट अस्वीकार की जाती है। अधीनस्थ न्यायालय जिला कलक्टर, उदयपुर द्वारा पारित निर्णय दिनांक 01.07.2019 यथावत रखा जाता है। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम की जाकर अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली के साथ निर्णय की प्रति प्रेषित की जावें।

निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(विकास सीतारामजी भाले)
संभागीय आयुक्त, उदयपुर